न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 30 / 2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 260

उनवान

1. हीरालाल पुत्र लच्छीराम जाट निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर मृतक के बजाय

1 / 1. नारायणलाल पुत्र हीरालाल जाट निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

1 / 2. माया पुत्री हीरालाल जाट निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

1 / 3. मिठुदेवी पत्नि हीरालाल जाट निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लहरू पुत्र लच्छीराम जाट निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. श्रीराम पुत्र लच्छीराम जाट निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हेमराज पुत्र लच्छीराम जाट निवासी पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – अधिवक्ता प्रार्थी
2. अमरसिंह चारण – अधिवक्ता विपक्षी 2, 3
3. विपक्षी संख्या 1 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 11/5/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. राजस्व ग्राम पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 296 रकबा 0.95 हे०, आराजी संख्या 303 रकबा 0.10 हे०, आराजी संख्या 304 रकबा 0.65 हे०, आराजी संख्या 305 रकबा 0.07 हैक्ट., आराजी संख्या 306 रकबा 0.08 हेक्ट., आराजी संख्या 307 रकबा 0.08 हैक्ट, आराजी संख्या 308 रकबा 0.15 हैक्ट., कुल किता 07 कुल रकबा 2.08 हैक्टयर भूमि राजस्व खाता संख्या 219 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित हैं।
2. उक्त वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण के पिता मृतक हीरालाल का 1 / 4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है जिनके प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है तथा शेष हिस्सा विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 के संयुक्त रूप से दर्ज है। मौके पर प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार अलग–अलग काबिज है तथा अन्य जो भूमि काबिज काश्त नहीं है उसमें भी हिस्से अनुसार काबिज है और शेष भूमि पर काश्त लाभ लेकर अपने–अपने हिस्से की भूमियों का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित भूमियां राजस्व खाते में सामलाती दर्ज रहने से व हम प्रार्थीगण को लगान जमा कराने, भूमियों

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

को विकसित करने, बैंक से ऋण आदि प्राप्त करने व भूमियों का उपजाउ बनाने में भारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है जिससे प्रार्थीगण अपने हक एवं हिस्सों का बटवारा कराना चाहते है हिस्से मौके पर कब्जेनुसार यानि प्रार्थीगण के कब्जे को प्राथमिकता देते हुए विभाजन करवा अपने संयुक्त 1/4 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता खुलवाना चाहते हैं व स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं तथा अपने हिस्से का लगान का निर्धारण भी अलग से करवाना चाहते हैं।

3. प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 के मध्य राजस्व खाता सामलाती दर्ज रहने से विपक्षीगण आये दिन हमारी कब्जेशुदा भूमियों में जबरन दखलंदाजी करते रहते है तथा बिना विभाजन कराये भूमियों में अवैध रूप से खुदाई कर भूमि को खुर्द बुर्द करते रहते है तथा भूमि का उपयोग उपभोग हिस्से अनुसार करने में आये दिन अड़चन पैदा करते है तथा हिस्से की भूमियों में आने–जाने के रास्ते पर बाधा कारीत करते है ऐलानिया रूप से धमकियां देकर मरने–मारने पर उतारू रहते है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 भूमियों का बिना विभाजन करवाये मौके पर अवैध रूप से खनन करवा रहे है तथा अन्य लोगो को बेस किमती भूमि मौखक रूप से बिना हमारी जानकारी के देकर उनसे भूमियां खुदाई कर अवैध तरीके से खड्डे कर रहे है जिसको कई बार प्रार्थीगण ने मना किया कि खाता अभी सामलाती है बिना विभाजन कराये खनन या अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करावे लेकिन विपक्षीगण नहीं माने जिससे उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक हो गया हैं।
4. प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला प्रमाणित है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा उन्हें पाबंद नहीं करवाया गया तो विपक्षीगण वाद–वर्णित भूमियों में खनन कर गहरे–गहरे खड्डे कर भूमि को अनउपजाउ कर देंगे तो भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन नहीं किया जा सकेगा।
5. अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 के इस आशय की जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण तक वादवर्णित भूमियों में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, व वाद वर्णित भूमि में किसी प्रकार के खड्डे नहीं करे एवं रास्ते का प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग हिस्से अनुसार करने में कोई बाधा व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे न अन्य से करावे। जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाएं।
6. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना उपस्थित नहीं होने से दिनांक 22.05.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2, 3 की ओर से अधिवक्ता अमरसिह चारण उपस्थित जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 4 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।
7. विपक्षी संख्या 2, 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकन किया कि कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य भुमियां स्थित होने के संम्बन्ध है जो स्वीकार है। हिरालाल के प्रथम श्रेणी के वारीस होना अस्वीकार है प्रार्थीगण साबित करावे। तथा विपक्षी संख्या 2 व 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित भुमियों में क्रय कि दिनांक से आपसी मौखिक विभाजन से अपने अपने हिस्से

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

पर मौके पर काश्त लाम कर रहे है। विपक्षीगण 2 व 3 ने आपसी विभाजन मे आई आराजी संख्या 296 व आराजी संख्या 303 पर एम.एल. नम्बर 228/2010 माईनिंग लिज में संलग्न भुमि पर डिर्माकेशन अनुसार खनन् करने हेतू सहमति करीबन 1 वर्ष पूर्व दे रखी है तथा उक्त सहमति के आधार पर ही लिज की भूमि पर खनन् किया जा रहा है। विपक्षीगण जवाबदाता द्वारा कोई अवैध खनन नही किया गया जबकी एम.एल. नम्बर 228/2010 माईनिंग लिज में जारी सहमति पत्र के आधार पर करीबन 1 वर्ष से लिज होल्डर द्वारा माईनिंग लिज में खनन कार्य किया गया, जो न्यायालय श्रीमान के द्वारा जारी स्थगन आदेश के बाद खनन कार्य नहीं किया गया। और आराजी संख्या 296 व 303 मे वर्तमान में खनन नहीं किया जा रहा है। तथा विपक्षीगण 2 व 3 द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से में उपयोग उपभोग करने में अडचन पैदा नहीं की न ही आने जाने के रास्ते पर बाधा उत्पन्न की न ही प्रार्थीगण को कोई ऐलानियां धमकीया दी है जबकी प्रार्थीगण के पिता व विपक्षीगण उक्त भूमियों पर क्रय की दिनांक से अपने मौखिक विभाजन से अलग अलग हिस्से पर काबिज होकर काश्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिससे प्रार्थीगण आपसी मौखिक विभाजन से पांबन्द होकर स्टोप्ड है जिससे प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण कई वर्षों से आपसी मौखिक विभाजन से अलग अलग हिस्सो पर काबिज होकर काश्त कर रहे है ओर विपक्षी सख्या 2 व 3 के आपसी विभाजन में आई हुई आराजी संख्या 296, 303 पर माईनिंग लिज में खनन करने की सहमति प्रदान करने पर माईनिंग लिज द्वारा करीब 1 वर्ष से खनन कार्य किया जा रहा है जिससे विभाजन कराने की कोई आवश्यता नहीं है केवल विपक्षीगण को बेजा जलील व परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र व वादपत्र पेश किया जो प्रथमदृष्ट्या ही खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है एंव सुविधा संन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है व प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होने की संम्भावना नहीं है क्योकि प्रार्थीगण व विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भुमियों में क्रय की दिनांक से अपने अपने हिस्से अनुसार आपसी मौखिक विभाजन से अलग अलग हिस्से पर काबिज होकर काश्त लाभ प्राप्त कर रहे है मात्र विपक्षी संख्या 2 व 3 को बेजा जलील करने व परेशान करने की गरज रेर्कोटेर्ड खातेदार के विरुद्ध उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

8. अतिरिक्त कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेकॉडेर्ड खातेदार नहीं है। रेकॉडेर्ड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर पेश किया है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का विरासत का नामान्तकरण अपने पक्ष में निर्णित नहीं करवाया है व रेकॉर्डेड खातेदार द्वारा ही वादपत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। आराजी संख्या 296 व 303 एम.एल. नम्बर 228/2010 माईनिंग लीज में सलग्न है जिससे लीज होल्डर आवश्यक पक्षकार होने पर भी पक्षकार नहीं बनाया गया। लीज होल्डर द्वारा सहमति के आधार पर समय पर राज्य सरकार का नियमानुसार शुल्क जमा करवा खनन कार्य किया जा रहा है, जिससे माईनिंग लीज में खनन कार्य करने से नहीं रोका जा सकता है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

9. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्राथी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजियात के रेकॉर्डेड खातेदार के विधिक वारीसान द्वारा पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
(उ.डी.ओ.) रायपुर

वादग्रस्त आराजियात कुल रकबा 2.08 है0 भूमि वादी/प्रार्थी एवं प्रतिवादी/विपक्षी के सामलाती भूमि है, जिसमें वादी का 1/4, प्रतिवादीगण/विपक्षीगण का 3/4 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रेकार्ड मे विभाजन नहीं हुआ है। बिना विभाजन कराए विपक्षीगण ने अवैध खनन कार्य शुरू कर दिया। वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में मूलवाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत् पेश किया गया है जिसमें हिस्से अनुसार विभाजन करवाये जाने का निवेदन किया किया। वादग्रस्त आराजियात पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी, प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय किया जाना शेष है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। मूलवाद के निर्णय तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाए। विपक्षीगण ने अपने जवाब में लिखा गया कि किया जा रहा खनन विधिवत माईनिंग लीज करवाकर किया जा रहा है। परन्तु 1 वर्ष पूर्व से विपक्षीगण अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थी की बिना सहमति से वादग्रस्त आराजियात में खनन कार्य करवा रहे है। माईनिंग लीज प्रार्थीगण के हिस्से पर निष्प्रभावी है। अतः मूलवाद निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

10. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में प्रार्थी द्वारा मौखिक विभाजन किया गया बताया गया है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। माईनिंग लीज वर्ष 2010 में कराई गई थी। प्रार्थीगण के पिता और विपक्षीगण की सहमति से माईनिंग लीज हेतु आराजियात में डिमार्केशन हुआ है। आराजी संख्या 296 व 303 विपक्षीगण के हिस्से में आयी है। वादग्रस्त आराजियात पर खनन कार्य विधिक रूप से चल रहा है। सर्म्पूण वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण जो कि वादग्रस्त आराजियात के रेकॉर्डेड खातेदार के वारीसान है उनकी ओर से मूल वादपत्र में घोषणा की दाद नहीं चाही गई है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के पश्चात् खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। खननकर्ता माईनिंग कम्पनी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। माईनिंग कम्पनी द्वारा माईनिंग करने का नियमानुसार शुल्क जमा करवाया जा रहा है। खनन कार्य अपने हिस्से की सहमति के आधार पर किया जा रहा है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से माईनिंग कम्पनी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाए।

11. विपक्षी अधिवक्ता की ओर से बहस पर पुनः प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता के नाम पर भूमि है, जिसमें विरासत का नामान्तरण फैसल होना शेष है। प्रार्थीगण ने नामान्तकरण के लिए सजरा व मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किए गए है। माईनिंग लीज के समय सहखातेदारों की सहमति नहीं ली गई है। माईनिंग लीज में विपक्षी संख्या 2, 3 की सहमति है, श्रीराम की सहमति है। प्रार्थी की सहमति नहीं ली गई है। राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजियात पर खनन का कोई अंकन नहीं है। विभाजन से पूर्व सहखातेदार का आराजी हर एक इंच पर समान अधिकार होता है। माईनिंग लीज प्रार्थीगण की हद तक अवैध है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।

12. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादग्रस्त आराजियात का मूलवाद राजस्थान काश्तकारी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

अधिनियम 1956 की धारा 53 विभाजन का वाद है जिसमें वादीगण द्वारा विभाजन चाहा गया है। वादग्रस्त आराजियात में खनन कार्य किया जाना विपक्षीगण द्वारा स्वीकार किया गया जिससे प्रथम दृष्टयता यह प्रतीत हो कि वादग्रस्त आराजियात में खनन कार्य किया जा रहा है। ऐसे में मामला प्रथम दृष्टयता प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। वादग्रस्त आराजियात को बिना विभाजन कराए विपक्षी द्वारा खनन कार्य किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है एवं मौके पर विवाद उत्पन्न होने की आंशका रहेगी एवं भूमि प्रकृति एवं खातेदारी में परिवर्तन होने पर प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन में अनावश्यक विलम्ब होगा तथा विवादो की बहुलता की संभावना बनती है। सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में मूलवाद निस्तारण तक प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम पीथा का खेड़ा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा के राजस्व खाता संख्या 219 में अंकित आराजी संख्या 296 रकबा 0.95 हे0, आराजी संख्या 303 रकबा 0.10 हे०, आराजी संख्या 304 रकबा 0.65 हे०, आराजी संख्या 305 रकबा 0.07 हैक्ट., आराजी संख्या 306 रकबा 0.08 हेक्ट., आराजी संख्या 307 रकबा 0.08 हैक्ट., आराजी संख्या 308 रकबा 0.15 हैक्ट., कुल किता 07 कुल रकबा 2.08 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, व वाद वर्णित भूमि में किसी प्रकार के खड्डे नहीं करे एवं रास्ते का प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग हिस्से अनुसार करने में कोई बाधा व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे न अन्य से करावे। इस प्रकरण संख्या 30/2024 में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी यदि कोई आदेश हो तो उसे इस आदेश से प्रतिस्थापित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11/5/2026 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा